

10/01/2018

2017
08/198

~~काठली वेश है। अखिलवला वारीग्य अनुपालनी
 वेशीका लरका अचरी गवाह अनुपालनी
 भायालय लस्यु मे एक-रुफ का रुह
 वार आवाज लावने पर श्री अखिलवला
 वारीग्य कववा वारीग्य (वये उषा लित
 हुए न ही गवाह पिप्य उषा लित जत।
 एकए कदम हजरी, कदम पैरवी, अदम
 सहुत मे खारीज किपा जात है। (काठली
 डिडी जारी है। काठली दालप
 शुभ होकर नम्बर हो कास है।~~



(सुनाम सुन्दर विशनोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चिन्मङ्गल (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ

1. राजकुमार पिता मोती लाल चमार निवासी लाल जी का खेडा तह.
चित्तौडगढ
2. चान्दी बाई पत्नी स्व.मोतीलाल चमार निवासी लाल जी खेडा तह.
चित्तौडगढ

वादीगण

बनाम

1. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सा. चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये कलेक्टर सा. चित्तौडगढ

प्रतिवादीगण

प्र.सं. 230/2017 (GCMS 2017/00198)

वादी की ओर से वकील श्री. — की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री.
पैरोकार सरकार की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता
के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश
डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम
सबूत मे खारीज किया जाता है।

इस वाद के खर्च — प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा — को दी
जावे। यह आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत
से जारी की गई।



श्याम सुन्दर बिश्नोई
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)